



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235310
CG-DL-E-22042022-235310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944

No. 206]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल 2022

फा.सं. 18-24/5498-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

और जबकि, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा **रॉयल स्कूल ऑफ नर्सिंग, अराडी छक, समरईपुर, पोस्ट गेलपुर, जिला भद्रक-756100, ओडिशा** को एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, और ओडिशा नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा एएनएम पाठ्यक्रम के लिए उक्त संस्थान को मान्यता दी गई थी।

और जबकि, उप-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु रॉयल स्कूल ऑफ नर्सिंग को प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है।

और जबकि, ओडिशा नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा भी एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु रॉयल स्कूल ऑफ नर्सिंग को दी गई मान्यता को वापस ले लिया गया है।

इसलिए, एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु रॉयल स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से वापस ली जाती है, क्योंकि उक्त संस्थान के पास ओडिशा राज्य सरकार और ओडिशा नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल की आवश्यक अनुमति नहीं है।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./12/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 8th April, 2022

F.No. 18-24/5498-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Odisha had granted No objection Certificate to Royal School of Nursing, At – Aradi Chhak, Samaraipur, PO – Gelpur, Distt. Bhadrak - 756100, Odisha for starting ANM course and the Odisha Nurses and Midwives Council had granted recognition to said institution for the ANM course.

And whereas, the Deputy Secretary, Government of Odisha, HM & FW Department, has revoked the NOC granted to Royal School of Nursing for running ANM Course for the academic year 2020-2021.

And whereas, Odisha Nurses and Midwives Council has also withdrawn the recognition granted to Royal School of Nursing for running ANM course.

Hence, therefore, the recognition of Royal School of Nursing for conducting ANM Course is hereby withdrawn from the academic session 2020-2021 as the said institution does not have necessary permissions from the state government and Odisha Nurses and Midwives Council.

LT. COL (DR) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./12/2022-23]